झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
एस0 ए0 संख्या–101/2011

सनातन मरांडी .... अपीलकर्त्ता

बनाम्

1. नीलमणि हांसदा, पुत्री–स्वर्गीय खारा हांसदा एवं पत्नी–बाका मुर्मू
2. सुकल हांसदा, पे0–स्वर्गीय लखीराम हांसदा
3. फुगी हांसदा, पुत्री–लिलु हांसदा
4. सनतोरी हांसदा, पे0–स्वर्गीय लखीराम हांसदा

सभी 1 से 4 तक निवासी ग्राम–करजोरी, डाकघर–खैरबोनी, थाना–कुण्डाहीत, जिला–जामताड़ा

5. सुरजा मरांडी, पे0–स्वर्गीय नबीन मरांडी, निवासी ग्राम–करजोरी, डाकघर–जे0 खैरबोनी, थाना–कुण्डाहीत, जिला–जामताड़ा, वर्तमान निवासी ग्राम–कुन्जबोना, डाकघर–मनिहारी (सुंदरपुर), थाना–नाला, जिला–जामताड़ा
6. उपायुक्त, जामताड़ा, जामताड़ा, डाकघर, थाना एवं जिला–जामताड़ा

.... उत्तरदातागण

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

अपीलकर्त्ता के लिए : श्री एन0 पी0 चौधरी, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए : .....

09/01.07.2019

यह अपील विद्वान जिला न्यायाधीश, जामताड़ा द्वारा टाइटल अपील सं0–8/2007 में पारित दिनांक 09.09.2011 के फैसले और 23.09.2011 को हस्ताक्षरित डिक्री के खिलाफ दाखिल की गयी है, जिसके तहत उन्होनें अवर न्यायाधीश–I, जामताड़ा द्वारा स्वत्व वाद संख्या 50/1990 में पारित दिनांक 28.03.2007 के निर्णय तथा दिनांक 09.04.2007 को हस्ताक्षरित डिक्री को बरकरार रखा है।

इस अपीलकर्त्ता द्वारा वादी की अनुसूची–ए से एफ में उल्लिखित सूट भूमि पर अधिकार, स्वत्व और हित का दावा करते हुए, इस अपील को वर्ष 2007 में दाखिल किया गया था। उन्होनें उत्तरदाताओं के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए भी प्रार्थना की।

अपीलकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

निस्संदेह, पार्टियां संथाल हैं और आदिवासी प्रथागत कानून द्वारा शासित हैं। वादी ने अपनी मां के माध्यम से प्रश्नगत जमीन पर अधिकार, स्वत्व का दावा किया, जो हरमा हांसदा की बेटी होने का दावा करती है। उनका दावा है कि हरमा हांसदा की बेटी, अर्थात सुखी हांसदा का विवाह जेठा मरांडी से हुआ था जो 'घरजमाई' के रूप में रहा। अपीलकर्त्ता जो जेठा मरांडी और सुखी हांसदा का बेटा था, को जमीन विरासत में मिली और इस तरह वह पूर्ण मालिक बन गया। यह दावा कि

उत्तरदाता, भूमि मालिकों की शाखा हैं, वे बाधा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके कब्जे में बाधा डाल रहे हैं और उनके स्वत्व का विरोध कर रहे हैं, जिससे उनके स्वत्व पर संदेह पैदा होता है।

पार्टियों की दलीलों से, मुझे पता चलता है कि वादी का मुख्य तर्क यह है कि वह सुखी हांसदा के माध्यम से संपत्ति का दावा करता है जो हरमा हांसदा की बेटी है। निस्संदेह, पार्टियां अपने स्वयं के प्रथागत कानून द्वारा शासित होती हैं और यह स्वीकार्य तथ्य है कि प्रथागत कानून के अनुसार बेटी को पिता की संपत्ति विरासत में नहीं मिलती है। इसके अलावा, नीचे के दोनों न्यायालयों ने तथ्यों का एक समवर्ती निष्कर्ष दिया है कि सुखी हांसदा, हरमा हांसदा की बेटी नहीं थी, इसलिए विरासत का कोई सवाल ही नहीं है।

चूंकि नीचे के दोनों न्यायालयों ने एक समवर्ती निष्कर्ष दी है कि सुखी हांसदा, हरमा हांसदा की बेटी नहीं है और अपीलकर्त्ता का दावा है कि सुखी हांसदा को हरमा हांसदा की संपत्ति बेटी होने के नाते विरासत में मिली है, मुझे लगता है कि इस ''दूसरी अपील'' में अपीलकर्त्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती है। इस तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों द्वारा दोनों न्यायालयों ने माना है कि सुखी हांसदा, हरमा हांसदा की बेटी नहीं है, इस प्रकार, सुखी हांसदा की संपत्ति को प्राप्त करने का कोई सवाल ही नहीं है।

तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के मद्देनजर मैं पाता हूँ कि इस दूसरी अपील में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित नहीं है जिसे सुविन्यस्त किया जा सके। यह अपील, इस प्रकार, खारिज की जाती है।

(आनंदा सेन, न्याया0)